न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/85/2025	2025/366	08.10.2025	15.12.2025

1. जनकदुलारी पत्नि कालूराम जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर
2. बबली पुत्र कालूराम उम्र जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर
3. बीना पुत्री कालूराम पत्नि श्यामू जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर हाल निवासी कोट तहसील गुण्डावर
4. रेखा पुत्री कालूराम पत्नि शुभम जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर हाल निवासी विश्व कर्मा 17 नम्बर आकेडा
5. वारिसान काबिज जायदाद कालूराम पुत्र भौरेलाल जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर मृतक

—प्रार्थी

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र भौरेलाल निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर
2. उप पंजीयक महोदय कठूमर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर

— असल प्रतिवादीगण / गैरसायलान—

1. महेश पुत्र कालूराम उम्र करीब साल जाति जांगिड निवासी
2. रोनीजाथान तहसील मुण्डावर
3. ललता पुत्री कालूराम पत्नि बबलू उम्र करीब साल जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर हाल निवासी कोट तहसील मुण्डावर
4. वारिसान काबिज जायदाद कालूराम पुत्र भौरेलाल जाति जांगिड निवासी रोनीजाथान तहसील मुण्डावर मृतक

—तरतीवी वादीगण/गैरसायलान

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील प्रार्थी
02—श्री अमर चन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्ररतुत कर अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के प्रकरण बउनवान जनकदुलारी वगैरा बनाम सुरेशचन्द को किसी दीगर न्यायालय में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत में वाद मुकदमा कालूराम मृतक जनकदुलारी वगैरा बनाम सुरेशचन्द राजस्व वाद नंबर 1/37/2020 दावा तकसीम हुक्मइम्तनाई दवामी आगामी पेशी दिनांक 10–10–2025 दावा रेवेन्यू अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर में विचाराधीन है। वादीगण सायलान ने तहत अदालत में दावा असल प्रतिवादीगण गैरसायलान के खिलाफ उक्त दावा पेश कर रखा है जिसमें असल प्रतिवादीगण गैरसायलान की तागील हो चुकी हैं व प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी ओर से तहत अदालत में रामजीत सिंह कपासिया को अपना वकील नियुक्त किया व वकालतनामा दिनांक 19–01–2021 को पेश किया। असल प्रतिवादीगण गैरसायलान प्रभावशाली व राजनैतिक व शक्तिशाली लोग हैं जिन्होने पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया है व पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण गैरसायलान के कहे अनुसार तारीख पेशी लगाते हैं मिन वादी बबली ने प्रतिवादी नंबर 1 सुरेश चन्द को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में व उनके निवास पर कई बार अपनी आंखो से मुकदमा हाजा के बाबत वार्तालाप करते हुए देखा है। पीठासीन अधिकारी असल प्रतिवादीगण गैरसायलान के वकील साहब के कहे अनुसार मुकदमा हाजा में तारीखे लगाते है। पीठासीन अधिकारी ने सरेआम हम वादीगण सायलान से कहा है कि तुम्हारा मुकदमा खारिज कर रहूंगा मुकदमे में जान नही हैं व असल प्रतिवादीगण ने कहा है कि मुकदमा हाजा में राजीनामा कर लो वरना उक्त मुकदमा तहत अदालत से खारिज कराकर रहेगें चूंकि हमने पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया हैं इसलिए उक्त प्रकरण को तहत अदालत से तलब किया जाकर किसी अन्य अदालत में मुन्तकिल किया जाना अतिआवश्यक हैं। असल प्रतिवादी नंबर 1 सुरेश चन्द ने गांव में अपने मिलने वालो से ऐलानिया धमकी दी है कि मेरा उखण्ड अधिकारी कठूमर के पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ हो गई हैं और उक्त प्रकरण को मेरे मन मुताबिक निर्णय कराउंगा। इसलिए वादीगण को न्यायालय श्रीमान गें प्रार्थना पत्र मुन्तकिल मुकदमा पेश करना लाजिम आया है। महेश, ललता तरतीबी प्रतिवादीगण को जरूरी खानगी होने के कारण मुकदमा हाजा में शमिल नही हो सके हैं इसलिए उन्हे तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया हैं।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिल मुकदमा स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान कालूराम मृतक जनकदुलारी वगैरा बनाम सुरेशचन्द राजस्व वाद नंबर 1/37/2020 दावा तकसीम हुक्मइम्तनाई दवामी आगामी पेशी दिनांक 10–10–2025 दावा रेवेन्यू अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर से तलब किया जाकर अन्य अदालत में मुन्ताकिल किया जावे।

अप्रार्थी सं० 1 के विद्वान वकील ने जवाब नहीं पेश करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं मौखिक बहस भी सुनी गई। तहत अदालत में वाद मुकदमा बउनवान कालूराम मृतक जनकदुलारी वगै० बनाम सुरेशचन्द दावा तकसीम हुक्तइम्तनाई दवामी अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर में विचाराधीन है। उक्त दावा में तहत अदालत द्वारा प्रारंभिक डिक्री पारित की गई जिसकी पालना में मौका कमिश्नर तहसीलदार कठूमर के द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर में पेश कर दी गई है। वादीगण ने तहत अदालत में असल प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा पेश कर रखा है जिसमें असल प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामजीत सिंह कपासिया वकील की नियुक्ति का वकालतनामा 19.01.2021 को पेश हो चुका है। असल प्रतिवादीगण प्रभावशाली व राजनीतिक व शक्तिशाली नहीं है और न ही मैनें पीठासीन अधिकारी से बेजा मेल रसूख मिलाया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मिन असल प्रतिवादी गैरसायल ने गांव में अपने मिलने वालो से कोई ऐलानिया धमकी नही दी हैं, कि मेरी उपखण्ड अधिकारी कठूमर के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ हो गई हैं, और उक्त प्रकरण का मेरे मन मुताबिक निर्णय कराउंगा। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही हैं। वादीगण सायलान ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी व मिन असल प्रतिवादी गैरसायल पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं।

वादीगण सायलान तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहते हैं। वादीगण सायलान ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया हैं, बिना कोई ठोस आधार के प्रकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल मात्र कयास के आधार पर मुन्तकिल नही करना चाहिए। वादीगण सायलान ने प्रार्थनापत्र दुभार्वनापूर्वक पेश किया हैं, मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नही हैं। वादीगण सायलान ने मौजूदा प्रकरण को जिस पीठासीन अधिकारी अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान से मुन्तकिल कराने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया हैं, उन्ही पीठासीन अधिकारी अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान के समक्ष वादीगण सायलान ने साजिश करके अन्य राजस्व वाद बीना देवी वादीया (बनाम) सुरेश चन्द वगैरा प्रतिवादीगण दावा घोषणात्मक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवागी पेश किया हुआ हैं, उक्त बीना देवी मौजूदा प्रकरण में भी पक्षकार मुकदमा हैं। तथा मौजूदा प्रकरण के अन्य पक्षकार भी उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा हैं। उक्त दीगर मुकदमा को मुन्ताकिल कराने के लिए कोई प्रार्थनापत्र मुन्तकिली पेश नही किया गया हैं। जिससे साबित हैं, कि वादीगण सायलान ने परस्पर विरोधाभासी तथ्य दर्ज करते हुए, प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा बतोर बदयान्ति पेश किया हैं। वादीगण सायलान मौजूदा सूरत में कोई अनुतोष पाने के नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। वादीगण सायलान का प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किए जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर से जवाब रिपोर्ट में प्रार्थना–पत्र मुंतकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाई गई हैः–

1. जिम्मन नं. 1 स्वीकार है कानूनी है।
2. जिम्मन नं. 2 स्वीकार है।
3. जिम्मन नं. 3 अस्वीकार है जो गलत एवं झूठा है।
4. जिम्मन नं. 4 अस्वीकार है जो गलत एवं झूठा है।
5. जिम्मन नं. 5 अस्वीकार है जो मनगढंत गलत एवं झूठा है।
6. जिम्मन नं. 6 अस्वीकार है। वादी/प्रार्थी द्वारा मनगंढत वो असत्य तथ्य अंकित किये हैं। पीठासीन अधिकारी / न्यायालय हाजा का किसी भी पक्षकार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है।
7. जिम्मन नं. 7 स्वीकार है कानूनी है।
8. जिम्मन नं. 8 स्वीकार है कानूनी है।
9. जिम्मन नं. 9 स्वीकार है
10. जिम्मन नं. 10 कानूनी है मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु वेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि पत्रावली वास्ते कुरेजात नियत है। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार के साज बाज नहीं है। निराधार आक्षेप लगाये गये है। उक्त प्रकरण में विधि अनुरूप बिना किसी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। सी.पी.सी. के प्रावधानो एवं कोर्ट मैन्यूअल के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की राय किसी भी पक्षकार को नही दी गई है। फिर भी उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)